फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0)

विरेन्द्र सिंह आदि बनाम तहसीलदार हनुमानगढ

किस्म मुकदमा 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट

हुक्म कार्यवाही विवरण मु.न. 251 / 2024

6/9/24

अधिवक्ता वादीगण खुशप्रीत सिंह द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के इस न्यायालय में पेश कर याचित किया गया कि वादीगण के नाम चक 48 एनजीसी खाता सं. 218 / 80 प.न. 129 / 264 मु.न. 42 कि.न. 21 / 1 / 0.102, 21 / 2 / 0.025, 22 / 1 / 0.228, 22 / 2 / 0.025 कुल 0.380 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें कि.न. 21 / 2 / 0.025, 22 / 2 / 0.025 गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह है कि प.न. 129 / 264 मु.न. 42 कि.न. 21 / 2 / 0.025, 22 / 2 / 0.025 है. नक्शे में दोनों बीघों में गै.मु. रास्ता का रकबा उत्तरी ओर दर्शाया गया है जबकि उक्त गै.मु. दोनों बीघों की दक्षिण में स्थित है जो सहवन से भू–नक्शा में उत्तरी सींव पर अंकित हो गया, इस कारण उक्त रकबा नक्शे में उत्तरी सींव के स्थान पर दक्षिण सींव पर दर्शाकर दुरुस्ती की जानी आवश्यक है।

प.न. 129 / 264 मु.न 42 कि.न. 21 / 2 / 0.025 मं गै.मु. रास्ता दर्शाया गया है जबकि मौका पर कि.न. 21 सडक कटने के कारण 0.0047 है. ही गै.मु. रास्ता उपयोग में आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में 0.025 है. दर्ज है। जिसे राजस्व रिकार्ड में 0.025 है. के स्थान पर 0.0047 है. किया जाकर शेष 0.0203 है. की घोषणा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। आदि आदि तथ्यों सहित वादीगण द्वारा वाद प्रार्थना पत्र पेश किया।

वाद पत्र दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ. / 24 / 3161 दिनांक 16.8.24 द्वारा अनवानी प्रकरण में इस आशय की रिपोट प्राप्त हुई कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा निर्णित प्रकरण सं 251 / 1992 दिनांक 27–1–97 के द्वारा चक 48 एनजीसी के प.न. 129 / 264 एवं 130 / 264 के किला नं 21 से 25 की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ पूर्व से पश्चिम में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया था। जिसका अमलदरामद जरिए नामान्तकरण सं 401 / 10–12–2012 राजस्व रिकॉर्ड में किया गया था। मौका पर 2–2 बिस्वा चोडाई का रास्ता जिस पर मौके पर डामर सडक बनी हुई है, प.न. 129 / 264 एवं 130 / 264 के किला नं 21 से 25 की दक्षिणी सीमा पर चल रहा है। जबकि भू–नवशा में उक्त रास्ता दक्षिणी सीमा की बजाय उत्तरी सीमा पर दर्शाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (6) के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धारित भूमि है, जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। अतः गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को कम किए बिना भू नक्शा तरमीम में उक्त रास्ता का अंकन उत्तरी सीमा की बजाय दक्षिणी सीमा पर किया जाना उचित है। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 27–1–97 के द्वारा स्वीकृत रास्ता होने के कारण धारा 88 के तहत अपील संधारणीय एवं पोषणीय नहीं है इसमें वादीगण द्वारा की गई मांग राज्यहित के विरुद्ध है, अतः केवल धारा 136 के तहत तरमीम संसोधन किए जाने हेतु अनुशंषा तहसीलदार हनुमानगढ ने जरिये उक्त पत्रांक प्रेषित की है। अधिवक्ता वादी द्वारा फॉर्म 3 के साथ पेश हल्का पटवारी पटवार मण्डल हनुमानगढ जंक्शन रिपोर्ट राजकाज 9682136 दिनांक 8.8.24 नामित तहसीलदार हनुमानगढ जिसमें उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 04.02.1992 द्वारा चक 48 एनजीसी पत्थर नं. 129 / 264 एवं 130 / 264 के किला नंबर 21 का 25 में दक्षिणी सींव पर दो–दो बिस्वा का रास्ता स्वीकृत किया गया था जिसकी पालना में इंतकाल नं. 401 निर्णय दिनांक 10 / 12 / 2012 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। मौका पर रास्ता तत्कालीन समय से दक्षिणी सींव पर ही चला आ रहा है जबकि सहवन से भू नक्शा में उत्तरी सींव पर अंकित ... है जिसे दुरुस्त कर दक्षिणी सींव पर किया जाना उचित है। पत्थर नंबर 129 / 2... मुरब्बा नंबर 42 किला नंबर 21 की दक्षिणी सींव 165 फुट की न होकर 34... भू–नक्शा एवं मौका अनुसार दो बिस्वा चौड़ाई के रास्ता का रकबा 0.0047 ... पत्थर नंबर 129 / 264 किला नंबर 21 में रास्ता का रकबा 0.0047 दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित तहसीलदार हनुमानगढ को पटवारी द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.09.18 20:38:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वादी पक्ष सुनी गई। पत्रावली मौजूद प्रमाणित प्रति प्र.स. 251 / 1992 अनवानी भूपेन्द्र कुमार बनाम ओमप्रकाश आदि में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.01.1997 द्वारा चक 48 एनजीसी प.न. 129 / 264 व 130 / 264 के कि.न. 21 ता 25 की दक्षिणी सींव के साथ चिपते हुए दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। इसी निर्णय में प.न. 129 / 263 व 129 / 264 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता निरस्त किया गया है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा भी उक्त निर्णय की पालना में नामान्तकरण सं. 401 / 10.12.2012

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

द्वारा स्वीकृत रास्ते का अमलदरामद किए जाने की पुष्टि अपनी मौका रिपोर्ट में प्रेषित की है। वादी द्वारा शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसमें प्रदश दस्तावेज 1 ता 3ए करवाए गए। अतः प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 27.01.1997 अनुसार वर्तमान भू–नक्शा चक 48 एनजीसी प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 21/2/0.025, 22/2/0.025 में गै.मु. रास्ता उत्तरी सींव पर दर्शाया गया है को दुरूस्त कर नक्शा संसोधित तरमीम किया जाना उचित प्रतीत है। अतः तहसीलदार हनुमानगढ को अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत आदेश दिए जाते है कि मुताबिक निर्णय दिनांक 27.01.1997 व आप द्वारा प्रेषित मौका पत्रांक 3161/16.8.24 के क्रम चक 48 एनजीसी प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 21/2/0.025, 22/2/0.025 में गै.मु. रास्ता जो उत्तरी सींव पर दर्शाया गया है को दुरूस्त कर नक्शा संसोधित तरमीम करते हुए उक्त किलो के दक्षिणी सींव पर रास्ता दर्शाया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावे। प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 21/2/0.025 में गै.मु. बतौर गै.मु. उपयोग में आ रहा है। जबकि मौका पर सड़क पर कि.न. 21 में सड़क कटने के कारण 0.0047 है. टी.ए. घोषणा की जाती है कि 0.025 है. दर्ज है अतः अन्तर्गत धारा 88 आर. मुमकीन खातेदारी किस्म अनुसार दर्ज हितबद्ध खातेदारान के नाम ब.हि.ब दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। निर्णय खुले इजलास सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.09.18 20:38:05 IST
Reason: SelfAttested